

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 225

दिनांक- 16-5-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सत्यराम मीणा (लिंक नम्बर 5764), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I का स्थानान्तरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रूपवास, भरतपुर से जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक- II, भरतपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मीणा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री मीणा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16-5-18 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मीणा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री मीणा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 225

दिनांक- 16-5-18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रूपवास, भरतपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक- II, भरतपुर।
3. श्री सत्यराम मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, कार्यालय-विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रूपवास, भरतपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-372) अलेसे-1/227

दिनांक:- 11-5-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुरेश चन्द वर्मा (लिंग नम्बर 5238), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर से महानिरीक्षक, सीआईडी (सीबी), जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री वर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 11-5-18 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री वर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री वर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

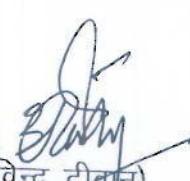

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-372) अलेसे-1/ 227

दिनांक:- 11-5-18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. महानिरीक्षक, सीआईडी (सीबी), जयपुर।
3. श्री सुरेश चन्द वर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-433) अलेसे-1/ 228

दिनांक:- 16-5-18

कार्यालय आदेश

श्री राजेन्द्र प्रसाद रावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, कार्यालय-मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I पद पर कार्यरत थे। उक्त कार्यालय के आदेश क्रमांक 2171-2117 दिनांक 14.03.2018 को श्री राजेन्द्र प्रसाद रावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I को निदेशालय हेतु कार्यमुक्त किया गया था। जिसकी अनुपालना में श्री राजेन्द्र प्रसाद रावत ने दिनांक 15.03.2018 को निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यग्रहण किया। विभागीय आदेश संख्या 412 दिनांक 20.03.2018 के द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद रावत का पदस्थापन वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-प्रथम, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर में किया गया। अतः श्री राजेन्द्र प्रसाद रावत की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि दिनांक 15.03.2018 से 20.03.2018 तक को राजस्थान सेवा नियम पार्ट-II की अनुसूची-ix के बिन्दु संख्या 7(क) के तहत नियमित किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-433) अलेसे-1/ 228

दिनांक:- 16-5-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-प्रथम, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर।
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद रावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, कार्यालय-वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-प्रथम, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर।
4. उप निदेशक (एसीपी) मु. को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (R-417) अलेसे-1/ 229

दिनांक:- 16-5-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रतन लाल सिंघल (लिंक नम्बर 1408), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण उपवन संरक्षक, श्रीगंगानगर से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पदमपुर, श्रीगंगानगर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सिंघल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री सिंघल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16-5-18 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सिंघल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री सिंघल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-372) अलेसे-1/ 229

दिनांक:- 16-5-18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. उपवन संरक्षक, श्रीगंगानगर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पदमपुर, श्रीगंगानगर।
3. श्री रतन लाल सिंघल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-उपवन संरक्षक, श्रीगंगानगर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अरविन्द दीवानी)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-469) अलेसे-1/ 230

दिनांक:- 16-5-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सतीश कुमार विजय (लिंक नम्बर 1408), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर से निदेशक, गोपालन विभाग, जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विजय द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री विजय को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16-5-18 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री विजय नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/ दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री विजय को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-469) अलेसे-1/ 230

दिनांक:- 16-5-18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. निदेशक, गोपालन विभाग, जयपुर।
3. श्री सतीश कुमार विजय, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-205) अलेसे-1/23

दिनांक:- 16-5-18

कार्यालय आदेश

निदेशक, निरीक्षण विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक 940-948 दिनांक 15.01.2018 द्वारा श्री रुपलाल जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को इस विभाग में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किये जाने पर श्री रुपलाल जैन ने दिनांक 17.01.2018 को निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति प्रस्तुत की। विभागीय आदेश संख्या 304 दिनांक 23.01.2018 के द्वारा श्री जैन का पदस्थापन राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर में किया गया। अतः श्री रुपलाल जैन की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि दिनांक 17.01.2018 से 23.01.2018 तक को राजस्थान सेवा नियम पार्ट-11 की अनुसूचि-ix के बिन्दु संख्या 7(क) के तहत नियमित किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-205) अलेसे-1/ 23

दिनांक:- 16-5-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्राचार्य, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर।
3. श्री रुपलाल जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर।
4. उप निदेशक (एसीपी) मु. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(अरविन्द दीक्षा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)